रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 <u>REGD. No. D. L.-33002/99</u>

#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-15092023-248782 SG-DL-E-15092023-248782

#### असाधारण EXTRAORDINARY

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

#### भाग IV PART IV

#### राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# अर्थ. एवं सांख्यिकी निदेशालय

## अधिसूचना

दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023

फा.सं. 1/18/2018/अ.स.नि./स्था./2724.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डीओपीटी ओ.एम. नंबर AB-14017/10/2014-Estt (RR) (3104937) दिनांक 04.07.2014 के अनुसार तथा अर्थ. एवं सांख्यिकी निदेशालय में ग्रुप-सी के पद के लिए समय-समय पर जारी किए गए पिछले सभी भर्ती नियमों के अधिक्रमन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के उपराज्यपाल द्वारा अर्थ. एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात :—

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

- (i) इन नियमों को अर्थ. और सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) भर्ती नियमावली 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगें।

5887 DG/2023 (1)

- 2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में यथाविनिर्दिष्ट होंगें।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु- सीमा, योग्यतायें इत्यादि:- उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे सम्बन्धित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में यथाविनिर्दिष्ट होंगें।
- 4. अयोग्यता:- ऐसा कोई भी व्यक्ति,
  - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
  - (ख) जो एक जीवित पित/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या अनुबंध कर चुका है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतगर्त अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छुट दी जा सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबंधो में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगें।
- 6. बचाव :- इन नियमों कि किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुसूची

1.	पद नाम	स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)
2.	पदों की संख्या	02* (2023)
		* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह-'सी', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पे मैट्रिक्स लेवल -2 (19900-63200/- रुपये)
5.	चयन पद है या गैर चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष*
		(केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय
		उम्मीदवार के लिए 40 वर्ष तक की छूट)
		नोट: आयु सीमा निर्धारण हेतु अंतिम तिथि डी.एस.एस.एस.बी./सक्षम
		प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित होगी।
		*अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले पद के मामले में,
		आयु सीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष होगी ।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य	आवश्यक:
	योग्यताएं।	1. 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण।
		2. मोटर कार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारी ।
		3. मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को
		दूर करने में सक्षम होना चाहिए)।
		4. मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
		वांछनीय:
		1. होम गार्ड/सिविल वालंटियर्स के रूप में 3 वर्ष की सेवा।
		नोट-1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक
		पर योग्यता में छूट दी जा सकती है।

		नोट-2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव के संबंध में योग्यता में छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नतियों के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष सीधी भर्ती के मामले में
10.	भर्ती की विधि; सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा (100%) इसके असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेश किया जाना चाहिए।	प्रितिनयुक्ति/ समावेश: (ए) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो या (ii) कार्यालय के ग्रुप-'सी' पे मैट्रिक्स में लेवल-1 (18000-56900/-) कर्मचारी जिसने तीन साल की नियमित सेवा की हो तथा जहां रिक्ति उत्पन्न होती है, इसके असफल होने पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रुप-'सी' पे मैट्रिक्स में लेवल-1 (18000-56900/-) कर्मचारी जिसने तीन साल की नियमित सेवा की हो तथा साथ ही मोटर कार चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर। और (बी) कॉलम संख्या 7 में निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले। नोट 1: केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के समान या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना	समूह-'सी' विभागीय पदोन्नित समिति स्थायीकरण पर विचार करने हेतु: • प्रधान सचिव / सचिव (श्रम) – अध्यक्ष • विभाग प्रमुख (डीईएस) - सदस्य • उप सचिव (सेवाएं) - सदस्य नोट: विभागीय पदोन्नित समिति का वरिष्ठतम सदस्य स्थायीकरण पर विचार करने के लिये विभागीय पदोन्नित समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नित समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती को लागू करने में यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

शान-ए-आलम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / कार्यालय प्रमुख

## DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

# NOTIFICATION

Delhi, the 13th September, 2023

**F.No. 1/18/2018/DES/Estt/2724.**—In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of the Constitution of India and in accordance with DoPT O.M. No. AB-14017/10/2014-Estt (RR)(3104937) dated 04.07.2014 and in supersession of all previous recruitment rules issued time to time for the post of Group-'C', in the Directorate of Economics & Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of 'Staff Car Driver (Ordinary Grade)' in Directorate of Economics & Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi as following namely:—

#### 1. Short title and Commencement:-

- (i) These rules may be called the Directorate of Economics & Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi, 'Staff Car Driver (Ordinary Grade), Recruitment Rules 2023.
- (ii) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. <u>Number of Posts, its classification and Pay Level in the Pay matrix</u>:- The number of said posts, its classification and Pay matrix attached shall be as specified in columns 2 to 4 'Staff Car Driver (Ordinary Grade) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. <u>Method of Recruitment, Age Limit, Qualification etc.</u>:- The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in columns 5 to 13 'Staff Car Driver (Ordinary Grade) of the said Schedule.
- 4. <u>Disqualifications</u>:- No Person,
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

- 5. **Power to relax:** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by, order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving:-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

1	Name of the Post	Staff Car Driver (Ordinary Grade)
2	Number of Post	02* (2023)
		*subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service Group-'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial
4	Level in the Pay Matrix	Level-2 (Rs.19900-63200/-) of the Pay Matrix
5	Whether Selection or non selection	Not Applicable
	post.	
6	Age limit for Direct Recruits	18-25* years
		(Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the
		instructions or orders issued by the Central Government).
		<b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by
		DSSSB/Competent Authority.
		*In case of post being filled up by All-India Open Competition, the age limit would
		be between 18 years and 27 years.
7	Educational & other qualification	Essential:
	required for direct recruits	1. Pass in 10 <sup>th</sup> Standard.
		2. Possession of a Valid Driving License for Motor Cars.

8	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of	<ol> <li>Knowledge of Motor mechanism (The Candidate should be able to remove minor-defects in Vehicle).</li> <li>Experience of Driving a Motor Car for at least 3 years.</li> <li>Desirable:         <ol> <li>3 years' service as Home Guard/ Civil Volunteers.</li> <li>Note-1: Qualification are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of Candidates otherwise well qualified</li> <li>Note-2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</li> </ol> </li> <li>Not Applicable</li> </ol>
0	Promotees.	02 Voors for Direct Poornits
9 10	Period of Probation, if any  Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/Absorption & % of the posts to be filled by various methods	02 Years for Direct Recruits.  Deputation/absorption (100%) failing which by direct recruitment.
11	In case of Recruitment by Promotion / Deputation/ Absorption, grades from which Promotion/Deputation/ Absorption to be made.	Deputation/Absorption:  (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department Or  (ii) From amongst Group-'C' employees in Level-1 (18000-56900/-) in Pay Matrix with three years of regular service in the office where vacancy arises failing which from Group-'C' employees in Level-1 (18000-56900/-) in Pay Matrix with three years of regular service in Central Government/State Government/UTs and on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars. and  (b) Possessing the qualification and experience as prescribed in Column No.7  Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government/State Government/UTs shall ordinarily not exceed three years.  Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be Not Exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
12	If a DPC exists, what is its composition	Group-'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Principal Secretary/Secretary (Labour) - Chairperson  2. Head of the Department (DES) - Member  3. Deputy Secretary (Services) - Member  Note:- Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of Departmental Promotion Committee.
13	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By order and in the Name of the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi,

SHAN-E-ALAM, Jt. Director (Admn.)/Head of Office